राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(ग)(1) अलेसे– I/2179 दिनांकः 05 01.2023

आदेश संख्याः 107/2022–23

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963,के नियम 29(2ए)के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 की रिक्तियों पर विचार हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.06.2015 की अभिशंषा के आधार पर श्री कैलाश प्रसाद मीना (जन्म दिनांक 07.07.1967) मेरिट नम्बर 212/1989, (लिंक नम्बर 8445) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन किया जाकर निदेशालय के आदेश संख्या 41/2015–16 दिनांक 25.06.2015 द्वारा पदोन्नत किया गया।

तत्पश्चात् शासन सचिव, आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 29.05.2015 के द्वारा श्री मीना को डीपीसी दिनांक से पूर्व निलम्बित किये जाने के कारण श्री मीना की सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। पद पर की गई पदोन्नति को निदेशालय के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा निरस्त किया गया। विभागीय आदेश संख्या 25341–354 दिनांक 14.01.2016 द्वारा श्री मीना को निलम्बन से बहाल कर दिया गया।

श्री मीना का निलम्बन होने के अतिरिक्त इनके विरूद्ध ज्ञापन क्रमांक 1321–1325 दिनांक 17.05.2016 जारी किया गया, जिसे विभागीय आदेश क्रमांक 267–271 दिनांक 11.01.2021 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण को समाप्त किया गया। श्री मीना को द्वितीय ज्ञापन क्रमांक 1891–1894 दिनांक 23.11.2016 जारी किया गया, जिसे विभागीय आदेश क्रमांक 915–919 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण को समाप्त किया गया।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दू संख्या 12.13 के उप बिन्दु (v) एवं कार्मिक (क–2) विभाग के अभिमत दिनांक 30.11.2022 के अनुसरण में श्री मीना को पदोन्नति पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी–.2) 9300–34800, ग्रेड–पे रूपये 4800/– में दिनांक 01.04.2015 से स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड I) क्रमोन्नत/कमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त/राजस्व/15 जयपुर, दिनांक **25.06.2015** से प्राप्त स्वीकृति एवं कार्मिक विभाग के अभिमत दिनांक 30.11.2022 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2(ग)(1) अलेसे– I/2179

दिनांकः 05.01.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...
4. श्री .... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय .... को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. अलेसे–II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)